कार्यालय आयुक्त बिलासपुर संभाग, बिलासपुर (छ.ग.)

(विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, बिलासपुर)

//ज्ञापन//

क्रमांक /760/स्था./2022 बिलासपुर, दिनांक /03/2022

प्रति,

संचालक,
जनसंपर्क सूचना प्रकाशन
रायपुर (छ.ग.)

विषय :– कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा अंतर्गत जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में सूचना प्रकाशन बाबत्।

––00––

इस पत्र के साथ कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा अंतर्गत जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के कुल 243 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला कोरबा के पात्र स्थानीय निवासियों से विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के बेवसाइट https://sjssbbilaspur.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित करने के संबंध में विज्ञापन प्रारूप संलग्न है।

कृपया उक्त विज्ञप्ति अभ्यर्थियों के हित में प्रदेश से मुद्रित होने वाले तीन लोकप्रिय दैनिक समाचार पत्रों में, जिसका वितरण जिला कोरबा में भी होता हो, में प्रकाशित करने का कष्ट करेंगें।

संलग्नः–उपरोक्तानुसार।

(आयुक्त महोदय द्वारा अनुमोदित)

उपायुक्त
हेतु आयुक्त
बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
(छत्तीसगढ़)

पृष्ठांकन क्रमांक /761/स्था./2022 बिलासपुर, दिनांक /03/2022

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर, जिला कोरबा को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
2. संयुक्त संचालक, जनसम्पर्क विभाग, बिलासपुर को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।
3. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु
4. DIO NIC कोरबा की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

उपायुक्त
हेतु आयुक्त
बिलासपुर संभाग, बिलासपुर
(छत्तीसगढ)

कार्यालय विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, बिलासपुर छ0ग0

मुंगेली नाका मैदान के पास, मुंगेली रोड, बिलासपुर–495001
Phone No-07752-316503
website-https://sjssbbilaspur.cgstate.gov.in
E-mail-sjssb-bilaspur@cg.gov.in

क्रमांक /762/ वि.क.क.च.बो. / 2022 बिलासपुर, दिनांक 15/03/2022

/ / विज्ञापन / /

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा अंतर्गत जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर चयन हेतु ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा के पत्र क्रं. / स्था.अवि. / 2022 / 3347 कोरबा दिनांक 11.03.2022 एवं कार्यालय कलेक्टर जिला कोरबा का पत्र क्रं. / 3276 / वित्त–1 / 2022 कोरबा दिनांक 11.03.2022 द्वारा प्राप्त प्रस्ताव के आधार पर स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत जिला संवर्ग के तृतीय श्रेणी के पद (फार्मासिस्ट ग्रेड–02, ड्रेसर ग्रेड–01, ड्रेसर ग्रेड–02, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं पुरूष) एवं चतुर्थ श्रेणी के पद (भृत्य, वार्ड ब्वॉय, वार्ड आया, स्वच्छक, चौकीदार, ओ.पी.डी.अटेण्डेंट, कुक) कुल 243 रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला कोरबा के पात्र स्थानीय निवासियों से विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर के वेबसाइट https://sjssbbilaspur.cgstate.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं:–

1. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का प्रारंभिक दिनांक – **21.03.2022 प्रातः11:00 बजे से**
2. ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने का अंतिम दिनांक – **10.04.2022 रात्रि 11:59 बजे तक**
3. ऑनलाइन आवेदन में त्रुटि सुधार – **11.04.2022 से 13.04.2022 तक**
4. अनंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन (संभावित दिनांक) – **18.04.2022**
5. अनंतिम प्रावीण्य सूची पर दावा आपत्ति (संभावित दिनांक) – **18.04.2022 से 27.04.2022 तक**

अभ्यर्थी दावा आपत्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा में प्रस्तुत कर सकेंगें। दावा आपत्ति के निराकरण पश्चात् अंतिम प्रावीण्य सूची का प्रकाशन विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर के वेबसाइट https://sjssbbilaspur.cgstate.gov.in पर किया जावेगा।

उपरोक्तानुसार चयन / नियुक्ति हेतु ऑनलाइन आवेदन भरने की विधि, विभाग द्वारा जारी विज्ञापन शैक्षणिक योग्यता एवं अर्हता, नियम एवं शर्तो आदि का अवलोकन विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर की वेबसाइट https://sjssbbilaspur.cgstate.gov.in पर किया जा सकता है।

ऑनलाइन आवेदन के साथ अभ्यर्थी को जाति प्रमाण पत्र, जन्म दिनांक, शैक्षणिक योग्यता, स्थानीय निवासी आदि संबंधी प्रमाण–पत्र नहीं लिये जा रहे हैं। अभ्यर्थी के सभी प्रमाण–पत्रों का परीक्षण नियुक्तिकर्ता प्राधिकारी द्वारा नियुक्ति के पूर्व किया जायेगा तथा सही पाये जाने पर ही अग्रिम कार्यवाही की जावेगी। अभ्यर्थी द्वारा दी गई गलत जानकारी के लिये विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड जवाबदार नहीं होगा। इसका संपूर्ण उत्तरदायित्व अभ्यर्थी का स्वंय का होगा।

परीक्षा नियंत्रक
विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड
बिलासपुर (छत्तीसगढ़)

कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा (छ.ग.)

क्रमांक/स्था.अवि./2022/ 3313 कोरबा, दिनाँक 11.03.2022

//तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के पदों पर नियुक्ति हेतु विज्ञापन//

संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छत्तीसगढ़, नवा रायपुर के पत्र क्रमांक/स्था.अवि./312/ 2021/857 नवा रायपुर, अटल नगर दिनाँक 23.08.2021 के द्वारा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग अंतर्गत तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर सीधी भर्ती हेतु अलिपिकीय पैरामेडिकल एवं नर्सिंग (संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें) तृतीय श्रेणी सेवा भर्ती नियम 2013 का संशोधन नियम 11/06/2020 में दिये गये प्रावधानानुसार तथा छत्तीसगढ़ शासन, सामान्य प्रशासन विभाग, मंत्रालय नवा रायपुर के अधिसूचना क्रमांक एफ/10-8/2019/1/एक दिनांक 04 सितम्बर 2019 में दिये गये निर्देशानुसार जिला संवर्ग के जिला कोरबा में तृतीय श्रेणी के पद- फार्मासिस्ट ग्रेड 02, ड्रेसर ग्रेड 01, ड्रेसर ग्रेड 02, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला, ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष एवं चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों को सीधी भर्ती से भरे जाने हेतु जिला कोरबा के पात्र एवं इच्छुक स्थानीय निवासी से ''विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड'' बिलासपुर के वेबसाईट https://sjssbbilaspur.cgstate.gov.in पर दिनांक .... से ....रात्रि 11:59 बजे तक ऑनलाईन आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं -

क्र	पदनाम	कुल रिक्तियां	वर्ग															
			अजजा				अजा				अपिव				अनारक्षित			
			मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग	मुक्त	महिला	भू.पू.सै.	दिव्यांग
1	फार्मा ग्रेड 02	15	5	1	0	0	2	0	0	0	2	0	0	0	3	1	0	1
2	ड्रेसर ग्रेड 02	3	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0
3	ड्रेसर ग्रेड 01	23	6	3	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	5	2	0	1
4	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष	60 (4CF)	21	0	2+ 1 CF	1+ 1 CF	4	0	0	1+ 1 CF	8	0	0	0	16	0	1+ 1 CF	2
5	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला	26 (3CF)	0	8	1+ 2 CF	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	7	1 CF	1
6	भृत्य	7	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
7	वार्ड ब्वॉय	30	10	0	2	1	3	0	0	0	4	0	0	0	7	0	2	1
8	वार्ड आया	41	0	13	3	1	0	4	0	0	0	5	1	0	0	11	2	1
9	स्वच्छक	22	6	2	1	0	2	0	0	0	3	0	0	0	4	2	1	1
10	चौकीदार	5	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
11	ओ.पी.डी. अटेण्डेंट	7	3	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0
12	कुक	4	2	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0

टीपः- 1. CF से तात्पर्य अग्रणित (Carry Forward) पद से है।
2. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष एवं वार्ड ब्वॉय हेतु केवल पुरूष अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।
3. ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला एवं वार्ड आया हेतु केवल महिला अभ्यर्थी ही पात्र होंगे।

छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र. -13-19/2021/आप्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 20.02.2014 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों में से 20 प्रतिशत पदों की पूर्ति विशेष पिछडी जनजातियों पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर जनजाति के संबंधित आवेदकों से की जायेगी

यदि विशेष पिछड़ी जनजातियों के कुल रिक्त पदों से कम आवेदन प्राप्त होते है अथवा विशेष पिछडी जनजाति के पात्र आवेदक कुल रिक्त पदों की संख्या में कम अथवा नही की स्थिति में होते है तो विशेष पिछडी जनजाति के रिक्त पदों पर सामान्य अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती की जावेगी।

शैक्षणिक अर्हता एवं योग्यता:-

1. **फार्मासिस्ट ग्रेड 02** :-
   (1) फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) में डिप्लोमा तथा
   (2) छत्तीसगढ़ फार्मेसी कौंसिल से जीवित पंजीयन।
2. **ड्रेसर ग्रेड 01** :-
   (1) विज्ञान विषय में 10+2 पध्दति में 12 वीं उत्तीर्ण होना चाहिए।
   (2) आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।
   (3) छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में ड्रेसर के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए ।
3. **ड्रेसर ग्रेड 02** :-
   (1) किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से कक्षा 10 वीं की परीक्षा उतीर्ण होनी चाहिए।
4. **ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष :-**
   (1) जीव विज्ञान विषय के साथ उच्चतर माध्यमिक परीक्षा (10+2) उत्तीर्ण होना चाहिए ।
   (2) प्रशिक्षण केन्द्र से बहुउद्देशीय कार्यकर्ता प्रशिक्षण में 01 वर्षीय डिप्लोमा या समकक्ष प्रशिक्षण, जिसे राज्य शासन द्वारा मान्यता दी गई हो, उत्तीर्ण होना चाहिए
   (3) अभ्यार्थी को छत्तीसगढ़ पैरामेडिकल कौंसिल में पंजीकृत होना चाहिए ।
5. **ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला :-**
   (1) उच्चतर माध्यमिक (10+2) परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए।
   (2) शासन द्वारा मान्यता प्राप्त संस्था से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता का 18 माह/24 माह का प्रशिक्षण उत्तीर्ण होना चाहिए।
   (3) छत्तीसगढ़ नर्सिंग कौंसिल से महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के रूप में जीवित पंजीयन होना चाहिए
6. **भृत्य चतुर्थ श्रेणी/वार्ड ब्वार्य/वार्ड आया/स्वच्छक/चौकीदार/ओ.पी.डी.अटेण्डेंट/कुक :-**
   (1) 08 वीं कक्षा की परीक्षा उतीर्ण होनी चाहिए।

नियम एवं शर्तें :-

01.उपरोक्त विज्ञप्ति में दर्शित पदों की संख्या में आवश्यकतानुसार परिवर्तन हो सकता है। इस संबंध मे अभ्यर्थियों का कोई भी दावा मान्य नही होगा। आवश्यकतानुसार चयन प्रक्रिया मे संशोधन/निरस्तीकरण किया जा सकेगा।

02.छत्तीसगढ़ राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित अधिसूचना दिनांक 31 दिसम्बर 2021 मे उल्लेखित प्रवधानानुसार कोरबा जिले हेतु कोरबा जिले के स्थानीय निवासी ही जिला संवर्ग के तृतीय एवं चतुर्थ श्रेणी पदों के उद्भूत रिक्तियों हेतु पात्र होंगे।

03.कोरबा जिले के स्थानीय निवासी होने के संबंध में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी निवास प्रमाण पत्र दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

04.दिनांक 01.01.2022 की स्थिति में उम्मीदवार की आयु सीमा न्यूनतम 18 वर्ष एवं अधिकतम 40 वर्ष होना चाहिए। अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों को 5 वर्ष, महिलाओं के लिए 10 वर्ष तथा सभी प्रवर्ग के लिए सभी प्रकार के छूट सहित अधिकतम आयु सीमा की छूट 45 वर्ष से अधिक नहीं होगी। निःशक्तजन उम्मीदवार को 3 वर्ष की आयु सीमा में अतिरिक्त छूट होगी परन्तु यह छूट 45 वर्ष की आयु सीमा तक ही सीमित होगा। आयु सीमा में छूट के संबंध में सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा समय-समय पर जारी निर्देश, नियम आदेश यथासंशोधित लागू होंगे।

05.दस्तावेज सत्यापन के दौरान आयु संबंधी छूट के लिए तद्संबंधी प्रमाण पत्र/दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

06.तृतीय श्रेणी पदों के लिए आवेदक द्वारा अपने आवेदन पत्र में उल्लेखित जन्म दिनांक हेतु हाई स्कूल (दसवीं) की अंकसूची एवं चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी हेतु आठवी की अंकसूची की मूलप्रतियां एवं स्व-प्रमाणित छायाप्रति दस्तावेज सत्यापन के समय प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

07.किसी भी शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल में कलेक्टर दर/संविदा/दैनिक वेतनभोगी/तदूर्थ नियुक्ति/अन्य आकस्मिक निधि मे कार्यरत कर्मचारियों को अनुभव का अंक प्रदान किया जावेगा। बशर्ते आवेदक द्वारा जिस पद पर आवेदन किया है उसी पद (तृतीय श्रेणी के पद हेतु) का कार्यानुभव प्रमाण पत्र होना चाहिए तथा चतुर्थ श्रेणी के पद हेतु समस्त चतुर्थ श्रेणी के पद पर कार्यानुभव मान्य किया जावेगा। प्रति पूर्ण वर्ष हेतु अनुभव के 02 अंक प्रदान किये जाएगें। अनुभव के अधिकतम 10 अंक निर्धारित है। अनुभव प्रमाण पत्र के साथ नियुक्ति आदेश की प्रति दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रस्तुत करना आवश्यक है। निजी संस्था द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र मान्य नही होगा। आवश्यकता पड़ने पर अनुभव प्रमाण पत्र का सत्यापन जारीकर्ता अधिकारी से करवाया जावेगा।

08.छत्तीसगढ़ शासन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मत्रांलय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल के आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, अटल नगर, दिनांक 07.12.2021 उल्लेखित प्रावधानानुसार कोरोना **वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय संस्थाओं मे नियुक्त** एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को विभाग के तृतीय एवं चतुर्थ वर्ग के पदों पर चयन हेतु 10 बोनस अंको का लाभ दिया जावेगा। नियोक्ता द्वारा निर्धारित प्रपत्र मे जारी प्रमाण पत्र ही मान्य किया जावेगा।

09.तृतीय श्रेणी के रिक्त पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची निम्नानुसार तैयार किया जावेगा :-

क्र	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं लेबल	प्रावीण्य सूची हेतु अंको की गणना	
1	फार्मासिस्ट ग्रेड 02	5200-20200 लेबल 06 (ग्रे.वे. 2400)	फार्मेसी कौंसिल से पंजीकृत औषधि निर्माण (फार्मेसी) मे डिप्लोमा	80 प्रतिशत
			फार्मासिस्ट के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (02 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 10 अंक)	10 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं लगातार 6 माह सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक
2	ड्रेसर ग्रेड 01	5200-20200 लेबल 04 (ग्रे.वे. 1900)	विज्ञान विषय मे 10+2 पध्दति मे 12 वीं	40 प्रतिशत
			आर्थोपेडिक कम ड्रेसर का पैरामेडिकल प्रशिक्षण	40 प्रतिशत
			ड्रेसर के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (02 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 10 अंक)	10 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं लगातार 6 माह सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक
3	ड्रेसर ग्रेड 02	5200-20200 लेबल 03 (ग्रे.वे. 1800)	किसी मान्यता प्राप्त मण्डल से 10 वीं	80 प्रतिशत
			ड्रेसर के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (02 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 10 अंक)	10 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं लगातार 6 माह सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक
4	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष	5200-20200 लेबल 05 (ग्रे.वे. 2200)	विज्ञान विषय मे 10+2 पध्दति मे 12 वीं	80 प्रतिशत
			ग्रा.स्वा.संयो. पुरूष के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (02 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 10 अंक)	10 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं लगातार 6 माह सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक

क्र	पदनाम	वेतन बैण्ड एवं लेबल	प्रावीण्य सूची हेतु अंको की गणना	
5	ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक महिला	5200-20200 लेबल 05 (ग्रे.वे. 2200)	10+2 पध्दति मे 12 वीं	80 प्रतिशत
			ग्रा.स्वा.संयो.महिला के पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (02 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 10 अंक)	10 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं लगातार 6 माह सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक

10.चतुर्थ श्रेणी के रिक्त पदों पर चयन हेतु मेरिट सूची निम्नानुसार तैयार किया जावेगा :-

क्र	श्रेणी	वेतन बैण्ड एवं लेबल	प्रावीण्य सूची हेतु अंको की गणना	
1	चतुर्थ श्रेणी	4750-7440 लेबल 01 (ग्रे.वे. 1300)	कक्षा आठवीं	80 प्रतिशत
			चतुर्थ श्रेणी पद मे कार्य करने का अनुभव अंक (02 अंक प्रति पूर्ण वर्ष अनुसार अधिकतम 10 अंक)	10 अंक
			कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओ मे नियुक्त एवं लगातार 6 माह सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस	10 अंक

11.समान अंक प्राप्त होने की स्थिति में अभ्यर्थी की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी उसको वरीयता प्रदान की जावेगी।

12.ऐसे समस्त आवेदक जिनका न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता ग्रेडिंग सिस्टम पर आधारित है। ग्रेड को प्रतिशत मे परिवर्तन :- ग्रेड विवरण के अनुसार अभ्यर्थी ग्रेड का प्रतिशत निकालने के लिए औसत प्रतिशत निकालना होगा।

जैसे:- 81-100 के प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को ग्रेड A है तो प्रतिशत का औसत निकालने के लिए औसत प्रतिशत = 81+100/2 = 91

इस प्रकार सभी ग्रेड का औसत प्रतिशत :-

ग्रेड	अंको का प्रतिशत	प्रतिशत
A	81-100	91
B	66-80	73
C	51-65	58
D	36-50	43

समान अंक/ग्रेड प्राप्त होने की स्थिति मे अभ्यर्थियों की जन्म तिथि को आधार मानकर वरीयता निर्धारित की जावेगी। जिस अभ्यर्थी की उम्र अधिक होगी, उसे वरीयता प्रदान की जावेगी।

13.CGPA के प्राप्त अंको को 9.5 से गुणा कर प्रतिशत की गणना की जावेगी।

14.भूतपूर्व सैनिक उम्मीदवारों हेतु सक्षम प्राधिकारी का प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

15.छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ/20-4/2014/आ.प्र./1-3, नया रायपुर, दिनांक 27.09.2014 अनुसार संगत दिव्यांगता/ निःशक्तता के कम से कम 40 प्रतिशत रूप से ग्रस्त व्यक्ति ही आरक्षण के लाभ हेतु पात्र होंगें। फार्मा.ग्रेड. 02 हेतु OL (एक पैर) BL (दोनो पैर), ड्रेसर ग्रेड 01 एवं 02 हेतु OL (एक पैर) HH (श्रवण बाधित), ग्रामीण स्वास्थ्य संयोजक पुरूष एवं महिला हेतु OL (एक पैर) OA (एक हाथ), वार्ड ब्वाय एवं वार्ड आया हेतु OL (एक पैर) OA (एक हाथ) LV (निम्न दृष्टि), स्वच्छक हेतु OL (एक पैर) OA (एक हाथ) LV (निम्न दृष्टि) HH (श्रवण बाधित) दिव्यांग/निःशक्तजन ही पात्र होंगे। जो व्यक्ति आरक्षण लाभ उठाना चाहते हैं, उन्हें जिला मेडिकल बोर्ड द्वारा जारी किया गया दिव्यांगता/निःशक्तता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।

16.छ.ग. शासन सामान्य प्रशासन विभाग मंत्रालय महानदी भवन, नया रायपुर के पत्र क्र.-13-19 /2021/आप्र./1-3 नया रायपुर दिनांक 20.02.2014 के अनुसार अनुसूचित जनजाति के लिये आरक्षित पदों में से 20 प्रतिशत पदों की पूर्ति विशेष पिछडी जनजातियों- पहाड़ी कोरवा तथा बिरहोर के संबंधित आवेदकों से की जायेगी। यदि कुल रिक्त पदों से कम आवेदन प्राप्त होते है अथवा विशेष पिछडी जनजाति के पात्र आवेदक कुल रिक्त पदों की संख्या में कम अथवा नहीं की स्थिति में होते है तो विशेष पिछडी जनजाति के रिक्त पदों पर सामान्य अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की भर्ती की जावेगी।

17.आवेदन हेतु निम्नानुसार ऑनलाईन आवेदन शुल्क जमा करना अनिवार्य होगा :-

1.सामान्य वर्ग - 350/-

2.अन्य पिछड़ा वर्ग - 250/-

3.अनु.जाति/अ.ज.जाति/निःशक्तजन/दिव्यांग - 200/-

4.विशेष पिछड़ी जनजाति - 50/- (पहाड़ी कोरवा एवं बिरहोर)

एवं उक्त शुल्क वापसी योग्य नही होगा।

18.विज्ञापन की सूचना, नियम व शर्ते कार्यालय कलेक्टर/मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा के सूचना पटल पर एवं विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड के वेबसाईट https://sjssbbilaspur.cgstate.gov.in पर भी देखा जा सकता है। आवेदक अपनी अर्हता की जांच स्वयं कर लें एवं विज्ञापन में दी गई निर्देशों/नियम शर्तो को पूरा करने पर ही ऑनलाईन आवेदन प्रेषित करेगें। आवेदक सावधानी पूर्वक जानकारी आवेदन में अंकित करेगें, आवेदन त्रुटिपूर्ण/अपूर्ण होने पर आवेदक स्वयं जिम्मेदार होगें। इसके लिए बोर्ड अथवा नियोक्ता जिम्मेदार नहीं होंगे।

19.यदि अभ्यर्थी छ.ग. शासन के अधीन शासकीय विभाग/निगम/मण्डल/उपक्रम में कार्यरत हो, तो वे ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। उन्हें अपने नियुक्ति प्राधिकारी/कार्यालय प्रमुख से जारी "अनापत्ति प्रमाण पत्र" दस्तावेज सत्यापन के दौरान अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

20.शैक्षणिक योग्यता की अंकसूची/जाति प्रमाण पत्र/निवास प्रमाण पत्र/अनुभव प्रमाण पत्र/तकनीकी दक्षता/आयु संबंधी छूट हेतु दस्तावेज एवं विज्ञापन मे चाहे गये अन्य दस्तावेज अभ्यार्थियों को दस्तावेज सत्यापन के समय मूल प्रति एवं स्वप्रमाणित छायाप्रति सहित प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

21.प्राप्त ऑनलाईन आवेदनों मे से अनंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन बोर्ड के वेबसाईट https://sjssbbilaspur.cgstate.gov.in पर किया जावेगा। अभ्यर्थी अनंतिम मेरिट सूची जारी होने के दिनांक से 10 दिवस के भीतर दावा आपत्ति कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा मे प्रस्तुत कर सकेंगे। दावा अपत्ति के निराकरण के पश्चात् अंतिम मेरिट सूची का प्रकाशन किया जावेगा।

22.प्रतीक्षा सूची जारी करने के दिनांक से 01 वर्ष के लिए वैध होगी।

23.चयनित अभ्यर्थियों को उपस्थिति के समय जिला चिकित्सा बोर्ड से शारीरिक योग्यता प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। अभ्यर्थी का पुलिस वेरीफिकेशन (चरित्र सत्यापन) नियोक्ता द्वारा कराया जायेगा।

24.चयनित अभ्यर्थियों की नियुक्ति 03 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर की जावेगी।

(क) परिवीक्षा अवधि में वित्त निर्देश 21/2020 के तहत निम्नानुसार स्टायपण्ड देय होगा :-

प्रथम वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 70 प्रतिशत।
द्वितीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 80 प्रतिशत।
तृतीय वर्ष - उस पद के वेतनमान के न्यूनतम का 90 प्रतिशत।

परन्तु परिवीक्षा अवधि में स्टायपण्ड के साथ अन्य भत्ते कार्यरत अन्य कर्मियों की तरह प्राप्त होगा।

(ख) परिवीक्षा अवधि की समाप्ति पर, जब वह सेवा या पद पर नियमित किया जाता है, तब शासकीय सेवक का वेतन, उस सेवा या पद को लागू वेतन में नियत किया जायेगा।

25.चयन उपरान्त् यदि कोई जानकारी असत्य/कूटरचित पाई जाती है, तो नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी तथा संबंधित के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही की जायेगी।

26.चयन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न किसी भी प्रकार की विवाद पर अन्तिम निर्णय लिये जाने का अधिकार विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड/नियोक्ता/विभाग के पास सुरक्षित रहेगा।

27.उक्त विज्ञापित पदों के संबंध मे विभाग द्वारा समय-समय पर आमंत्रित किये जाने वाले दावा अपत्ति की सूचना, दस्तावेज सत्यापन की सूचना, मेरिट सूची तथा आवश्यकता पड़ने पर विज्ञापन/भर्ती के संबंध मे किसी प्रकार की सूचना, घोषणा संस्था के सुविधानुसार दिनांक पर दी जावेगी। जिसकी सूचना समाचार पत्रों के साथ विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर के वेबसाईट https://sjssbbilaspur.cgstate.gov.in पर तथा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी कोरबा के नोटिस बोर्ड मे चस्पा कर दी जावेगी। अतः अभ्यर्थी समाचार पत्रों, विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर के वेबसाईट https://sjssbbilaspur.cgstate.gov.in एवं कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला कोरबा के नोटिस बोर्ड का सतत् अवलोकन करते रहेंगे।

28.उपरोक्त विज्ञापित पदों के लिए किया जाने वाला चयन/नियुक्तियां माननीय उच्च न्यायालय छत्तीसगढ़ बिलासपुर मे दायर याचिकाओं (रिट पिटीशन (सी) क्रमांक 591/2012, 592/2012, 593/2012 तथा 594/2012) मे पारित अंतिम आदेश/निर्णय के अध्याधीन रहेगी एवं माननीय उच्च न्यायालय के अंतिम आदेश/निर्णय के अनुसार अथवा संबंधित कार्यालय की आवश्यकतानुसार विज्ञापित किये गये पदों की संख्या मे परिवर्तन हो सकता है।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ.ग.

पृ.क्रमांक/स्था.अवि./2022/ 3314 कोरबा, दिनॉक 11.03.2022

प्रतिलिपि :-

01.आयुक्त, स्वास्थ्य सेवायें छ.ग., इन्द्रावती भवन, अटल नगर, नवा रायपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

02.आयुक्त एवं अध्यक्ष विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड बिलासपुर, संभाग बिलासपुर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

03.संचालक, संचालनालय स्वास्थ्य सेवायें छ0ग0, इन्द्रावती भवन, नवा रायपुर अटल नगर की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

04.कलेक्टर, जिला कोरबा छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

05.संभागीय संयुक्त संचालक, स्वास्थ्य सेवायें बिलासपुर, संभाग बिलासपुर छ.ग. की ओर सूचनार्थ संप्रेषित।

06.जिला सैनिक कल्याण कार्यालय, जिला कोरबा की ओर सूचनार्थ।

07.जिला सूचना एवं विज्ञान केन्द्र कोरबा की ओर विज्ञापन जिले के वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु अग्रेषित।

मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी
जिला कोरबा छ.ग.

कार्यालय का नाम

क्रमांक............... 	**दिनांक............**

<u>सेवा अनुभव प्रमाण पत्र हेतु निर्धारित प्रारूप</u>

प्रमाणित किया जाता है कि श्री/श्रीमती/सुश्री.................................., पिता/पति ....,पदस्थापना स्थल (शासकीय/अर्धशासकीय/निगम/मण्डल मे) ....में ....(पदनाम) के पद पर कुल सेवा अवधि वर्ष........ माह........ दिन........तक कार्यरत है/थे। इनका सेवा अनुभव का विवरण निम्नानुसार है:-

क्र.	पदस्थापना स्थल	विकास खण्ड	जिला का नाम	सेवा अवधि का विवरण					नियुक्ति का प्रकार (संविदा/एन.एच.एम./तदर्थ/डी.एम.एफ. एवं अन्य)	नियुक्ति का आदेश क्रमांक एवं दिनांक	रिमार्क
				दिनांक से	दिनांक तक	वर्ष	माह	दिन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1											
2											
3											

उपरोक्त दी गई जानकारी अधोहस्ताक्षरकर्ता के जानकारी के अनुसार सत्य एवं सही है।

नियोक्ता अधिकारी के हस्ताक्षर
पदमुद्रा सहित

कार्यालय का नाम एवं पता

क्रमांक................ दिनांक.................

कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं मे नियुक्त एवं 06 माह तक लगातार सेवा देने वाले अस्थाई स्वास्थ्य कर्मियों को बोनस अंक दिये जाने हेतु प्रमाण पत्र का प्रारूप

प्रमाणित किया जाता है कि -

1. श्री/श्रीमती/सुश्री..................................पिता/ पति का नाम.................. .... को इस संस्था......................... (संस्था का नाम) मे कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान .... के पद (पदनाम) पर अस्थाई स्वास्थ्य कर्मी बतौर दिनांक................ को नियुक्त किया गया था एवं
2. श्री/श्रीमती/सुश्री.......................... दिनांक............... से दिनांक............ तक अस्थायी स्वास्थ्यकर्मी के रूप के रूप मे कार्यरत है/थे।
3. उक्त कर्मचारी द्वारा इस कार्यालय/संस्था मे लगातार छः माह या छः माह से अधिक (कुल.......... वर्ष............माह.........दिन) तक सेवा दिया गया है/था।

छत्तीसगढ़ शासन लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर, अटल नगर, जिला रायपुर द्वारा जारी आदेश क्रमांक एफ 1-67/2021/सत्रह/एक, नवा रायपुर, दिनांक 07.12.2021 के परिपालन मे श्री/श्रीमती/कुमारी .... को विशेष कनिष्ठ कर्मचारी चयन बोर्ड, बिलासपुर द्वारा कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला कोरबा के विज्ञापन क्रमांक............... दिनांक........... मे विज्ञापित सीधी भर्ती के पद .... (पद का नाम) में चयन हेतु 10 बोनस अंक की पात्रता हेतु यह प्रमाण पत्र जारी किया जाता है।

नियुक्तिकर्ता अधिकारी के हस्ताक्षर (पदमुद्रा सहित)